

(191)


(67)

3

न्यायालय श्रीमग्नि सदस्य महोदय राजस्व मंडल गवालियर कैम्प रीवामप्रपु

R 5281-II/16

Rs 30/-



न्यायालय मित्रा तनय कमलेश्वर प्रसाद मित्रा निवासी ग्राम डग्हौआ

थाना व तहसील मठांज जिला रीवामप्रपु

— — — आवेदक

बना

1. राजेश सिंह पिता श्री इन्द्राज सिंह निवासी डग्हौआ,

तहसील मठांज जिला रीवामप्रपु

2. शासन मप्रपु

— — — अनावेक्षण

*श्री. डॉ. बिलाल खान
द्वारा आवेदन किया गया।
प्रस्तुत किया गया।*

मित्रा टिकट 27-5-16
सिंह कोटे रीवा

निगरानी बिल्ड अदेश तहसीलदार तहसील
मठांज जिला रीवा मप्रपु के प्र० १०२३/१५-१६ में
पारित आदेश दिनांक 27. 5. 16 के बिल्ड अन्तर्गत
धारा 50 मप्रप० भूरा १० संपर्के अधीन निगरानी

महोदय,

निगरानी के तथ्य :-

यह कि, प्रकरण का संक्षिप्ततथ्य इस प्रकार है कि आराजी नं. ९३०/२

रकवा० १०५आरे. स्व आराजी नं. ९३०/३ रकवा० ०.०२८आरे. स्थित ग्राम डग्हौआ, तहसील मठांज जिला रीवामप्रपु में स्थित भूमि है जिसके भूमिस्वामी आवेदक है। उक्त भूमि का सीमांकन किये जानेहेतु तहसीलदार न्यायालय में आवेदन का प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात मौके पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही की गयी लेकिन वाद में अनावेदक क्रमांक १ के इूँठे अभिकथनों के आधार पर तकनीकी की पुष्टि नहीं की गयी और सीमांकन का कार्यवाही एवं गित रखे जाने

आदेशदियागया, जिससे पीड़ित दोकर के निम्न अधारों में यह निगरानी

की गयी रही।

JW

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 5281- दो/16 जिला..... रीवा

..... श्यामलाल मिट्टा विरुद्ध राजेश बहैट

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री... अनीश नाथ द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नाम्बर तहसीलदार तहसील माझोंग के प्रकरण क्रमांक ०२। अ/२। १५। ६ में पारित आदेश दिनांक २७। ५। ६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २५। ३। १९ को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p>4</p>	

✓
सदस्य